

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा : युवा, स्कूटी और मोबाइल- घातक कॉम्बिनेशन

सुरक्षा उपकरणों के बिना वाहन चलाना और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करना युवाओं के लिए एक घातक खतरा है

आज की तेज-तरंग दुनिया में, गति और सुविधा का आकर्षण अक्सर सड़कों पर लापरवाह व्यवहार की ओर ले जाता है, खासकर युवाओं में। उचित सुरक्षा गियर के बिना बाइक और स्कूटर चलाना और साथ ही मोबाइल उपकरणों से जुड़ना एक खतरनाक चलन बन गया है, जो न केवल इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। यह लापरवाही एक टिक-टिक करता टाइम बम है, जो विनाशकारी परिणामों के साथ फटने का इंतजार कर रहा है।

हर दिन, अनगिनत युवा सवार बिना हेलमेट, दस्ताने या अन्य सुरक्षात्मक गियर पहने सड़कों पर उतरते हैं, गलती से मानते हैं कि वे अजेय हैं। वे यह समझने में असफल रहते हैं कि एक क्षण की गलती



का परिणाम जीवन भर पर पड़ सकता है। किसी दुर्घटना की स्थिति में, सुरक्षा गियर की अनुपस्थिति से गंभीर चोटों या यहां तक कि मृत्यु की संभावना काफी बढ़ जाती है। सुरक्षा सावधानियों की उपेक्षा करने वाले सवारों के बीच सिर में चोटें, फ्रैक्चर और खरोंचे बहुत आम हैं। इसके अलावा, सवार करते समय मोबाइल उपकरणों का व्यापक उपयोग खतरों को कई गुना बढ़ा देता है। चाहे वह टेक्स्टिंग हो, कॉल करना हो,

यह अधिक दूर तक फैले होते हैं। रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं के विनाशकारी परिणामों के कारण परिवार टूट जाते हैं, सपने टूट जाते हैं और जिंदगियाँ हमेशा के लिए बदल जाती हैं। जीवित बचे लोगों और खोए हुए लोगों के प्रियजनों पर भावनात्मक आघात को कम करके आंका नहीं जा सकता। अधिकारियों के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से इस महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करना



अनिवार्य है। लापरवाह व्यवहार को रोकने के लिए हेलमेट न पहनने पर जुर्माना और गाड़ी चलाने समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर जुर्माना सहित यातायात कानूनों का सख्त कार्यान्वयन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, युवाओं को लक्षित करने वाले व्यापक शैक्षिक अभियानों में सुरक्षा गियर के महत्व और विचलित ड्राइविंग के खतरों पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, जिम्मेदार सड़क व्यवहार को



बढ़ावा देने और किफायती सुरक्षा उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से सामुदायिक पहल युवा सवारों के बीच सुरक्षा की संस्कृति पैदा करने में मदद कर सकती है। जागरूकता को बढ़ावा देकर और जवाबदेही की भावना पैदा करके, हम सभी के लिए सुरक्षित सड़कों की दिशा में प्रयास कर सकते हैं।

सड़कों पर लापरवाही, विशेषकर बिना सुरक्षा गियर के बाइक और स्कूटर चलाने वाले युवाओं की लापरवाही, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। सक्रिय उपायों और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देना व्यक्तियों और अधिकारियों दोनों पर निर्भर है। केवल टोस प्रयासों से ही हम जोखिमों को कम कर सकते हैं और अपने युवाओं को सड़कों पर लापरवाह व्यवहार के खतरों से बचा सकते हैं।

डॉ अंकुर शरण,
राष्ट्रीय प्रमुख यातायात एवं योजना अधिकारी

वाहनों में अनधिकृत सफेद एलईडी हेडलाइट्स पर सख्त प्रवर्तन...

परिवहन विशेष न्यूज



नई दिल्ली। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियमों को बनाए रखने के लिए, अधिकारियों ने वाहनों में अनधिकृत सफेद एलईडी हेडलाइट्स के उपयोग के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। ऐसी हेडलाइट्स की स्थापना न केवल अवैध है बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। प्रवर्तन एजेंसियों ने इन अनधिकृत हेडलाइट्स के उपयोग में चिंताजनक वृद्धि की सूचना दी है, जो न केवल आने वाले ड्राइवरों को अंधा कर देती है बल्कि यातायात नियमों का भी उल्लंघन करती है। इन हेडलाइट्स से निकलने वाली तीव्र चमक अस्थायी अंधापन का कारण बन सकती है, जिससे सड़क पर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस खतरनाक प्रवृत्ति से निपटने के लिए, कानून प्रवर्तन अग्राधिकारियों पर नकल करने के लिए

को इन अवैध हेडलाइट्स को बेचते या स्थापित करते हुए भी कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। अधिकारियों ने जनता से आग्रह किया है कि वे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अनधिकृत हेडलाइट स्थापना के किसी भी मामले की रिपोर्ट करें। सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए वाहन संशोधनों से संबंधित नियमों को लागू करना आवश्यक है। ड्राइवरों को यातायात कानूनों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने की याद दिलाई जाती है कि हमारी सड़कों पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए उनके वाहन कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। आइए, मिलकर सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सभी के लिए सुरक्षित सड़क मार्ग बनाने के लिए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त, कार्यशालाओं या व्यक्तिगत

ट्रैक्टर ट्रॉली: सड़क सुरक्षा का बड़ा खतरा

परिवहन विशेष

सड़क सुरक्षा एक बड़ी मुद्दा है जो हम सभी को साझा करना चाहिए। लेकिन एक बड़ी समस्या जो अभी भी बहुत समय से ध्यान से नहीं देखी जा रही है, वह है ट्रैक्टर ट्रॉली का खतरा।

ट्रैक्टर ट्रॉली अक्सर सड़कों पर एक बड़ा सुरक्षा खतरा बन जाती है। इनकी बड़ी आकार और ब्रेक्स के कारण, ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवरों को समय पर रोकने में कठिनाई होती है। इससे उन्हें ब्रेक लगाने की क्षमता में कमी होती है, जिससे उनकी कंट्रोल के लिए संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसके अलावा, कई ट्रैक्टर ट्रॉली अधिक भार को संभालने की क्षमता से वंचित होती हैं, जिससे उन्हें अचानक टो-फो-ड्रो होने की संभावना होती है। ऐसे हादसों में ट्रैक्टर ट्रॉली अक्सर अन्य वाहनों के लिए खतरा बन जाती है, जिससे सड़क पर गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं।



दूसरी बड़ी समस्या है गाड़ियों की गुणवत्ता की कमी। अधिकांश ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर बुरी गुणवत्ता के होते हैं, जो सड़क पर जानलेवा हो सकते हैं। बुरी गुणवत्ता के टायरों के कारण, ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवरों को अपनी गाड़ियों को सही से कंट्रोल करने में मुश्किल हो

सकती है, जो दुर्घटना के खतरों को और भी बढ़ा देता है। सरकार को इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है। सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कठोर नियम बनाने चाहिए। साथ ही, ट्रैक्टर ट्रॉली के टायरों की गुणवत्ता को

भी सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। इस तरह से, हम सभी मिलकर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में योगदान कर सकते हैं, और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं।
roadsafety@squad@gmail.com

अगर आप चारों धाम में हेलीसेवा बुक करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए विशेष रूप से है यह खबर, अवश्य पढ़ें!



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। उत्तराखंड में चारों धाम की यात्रा 10 मई 2024, से प्रारंभ होगी। वहीं यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड सरकार एक्टीव मोड में है। वहीं इस चारधाम यात्रा की हेली सेवाओं के नाम पर चल रही 76 फर्जी वेबसाइटों को एस्टीएफ द्वारा गृह मंत्रालय के सहयोग से बंद कराया गया है। जिससे सैकड़ों लोग ठगी का शिकार होने से बच गये हैं। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस्टीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी एस्टीएफ/साइबर क्राइम

ने फर्जी वेबसाइटों को ब्लॉक कर बन्द करने का अभियान शुरू किया गया है। वहीं जिसमें विगत वर्ष 2023 में 64 फर्जी वेबसाइटों को बन्द करवाया गया था। वहीं इस साल अब तक कुल 12 फर्जी वेबसाइटों को चिह्नित कर बन्द करवाया गया। जिससे यह संख्या अब 76 हो गयी है। चारों धाम में इस वर्ष—2024 में उत्तराखण्ड सरकार के युकाडा द्वारा इस वर्ष भी आईआरसीटीसी के साथ अनुबन्ध करवाकर सहायता प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में युकाडा द्वारा चारधाम से सम्बन्धित पंजीकरण एवं हेलीसेवा के सम्बन्ध में सभी

जानकारियों के साथ विवरणिका तैयार की गयी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में साइबर अपराधी आम जनता की गाड़ी कमाई हड़पने हेतु अपराध के नये तरीके अपना कर धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ठगों के द्वारा हेलीसेवा के नाम पर फर्जी वेबसाइट तैयार कर हेली सेवा बुकिंग के नाम पर सम्पूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों में लाखों रुपये की धोखाधड़ी की जा रही है। वहीं जिसमें आईआरसीटीसी द्वारा अपनी वेबसाइट को चारधाम हेलीसेवा की बुकिंग के लिए अधिकृत किया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से

श्रद्धालु अपनी यात्रा हेतु हेली सेवा बुक कर सकते हैं, कोई भी भ्रमदान करने से पहले सम्बन्धित भ्रमदान के माध्यम की जाँच पड़ताल स्वयं कर सकते हैं। विगत वर्षों में देखा गया था कि कई साइबर ठगी की शिकायतें साइबर थाने पर प्राप्त हुई थी, जिसमें विभिन्न राज्यों के लोगों के साथ चारधाम यात्रा हेलीकाटर बुकिंग सेवा के नाम पर ठगी की गयी थी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की ठगी का मुख्य कारण यह था कि लोगों को चार धाम यात्रा की हेली सेवा बुकिंग की आधिकारिक वेब साइट की जानकारी नहीं थी।

संस्कारशाला : बात करने और बहस करने में अंतर है, और इसका हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव : प्रियंका

परिवहन विशेष


बात करना एक सामान्य संवाद की प्रक्रिया है, जिसमें लोग अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं। बातचीत में आम तौर पर सहमति होती है और लोग अपने विचारों को आपस में साझा करते हैं। विपरीत, बहस करना एक विवादास्पद प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न विचार और पक्षों के बीच मतभेद होते हैं। बहस में लोग अपने पक्ष को साबित करने की कोशिश करते हैं और अक्सर दूसरे की राय को खारिज करते हैं। बातचीत करने में साथ में समझदारी, सहानुभूति और सम्मान का भाव होता है, जबकि बहस में अक्सर तनाव, आक्रोश और असमंजस का माहौल होता है। बातचीत करने से हमारा व्यक्तित्व सकारात्मक और समझदार होता है, जबकि बहस करने से हमारा व्यक्तित्व अक्सर आक्रामक और अधिकारी बन जाता है। इसलिए, हमें बातचीत का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा व्यक्तित्व समृद्ध और संतुलित रहे, और साथ ही हमारे समाज में सहमति और समर्थन का वातावरण बना रहे।



इससे सामाजिक संबंधों में असंतोष और खींचतान का माहौल बनता है। इसलिए, सड़कों पर अधिक



बहस करने की जगह, समझदारी से बातचीत करना और सहमति की दिशा में काम करना बेहतर होता



है। इससे वातावरण में शांति और समाधान का माहौल बना रहता है।

टॉल्वा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)



website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बडौदा दिल्ली 110042

